


हुकम या-कार्यवाही मय इनिशियल जज

अगवानलाल v/s उदरलाल

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

3/3/25

पत्रावली पेश हुई। वारी आदि. उप.। पत्रावली वाले  
संशोधित उन्वान एवं अद्यतन शपथन रिकॉर्ड की जाते  
पेश करने हेतु दिनांक 28/3/25 को पेश हो।

  
19/3/25


29/3/25

पत्रावली पेश हुई। आज स्थानीय बार  
एसोसियेशन का कार्य स्थगन किया  
हुआ है। पीठासीन अधिकारी अन्य राजकीय  
कार्य में व्यस्त है। पत्रावली साक्षिक आदेश  
दिनांक 16/4/25 को पेश हो।



16/4/25


पत्रावली पेश हुई। वारी आदि. उप.। वारी अधिवक्ता गमा  
वारी सै. 1 की सूचन की सूचना आदेशिका पर उद्घृत की  
गई। वारी आदि. वारी सै. 1 के काफ़ल मुकाम जालीना पर  
अब सुलु उमाण पर के आगामी पेशी दिनांक 21/5/25  
को आवरणक रूप से पेश करने। पत्रावली वाले काफ़ल मुकाम  
जालीना पर हेतु दिनांक 21/5/25 को पेश हो।

  
16/4/25

आज ही 16/4/25  
से जानकारी करने  
पर आज इकाई  
वारी मज्यात की  
सुलु हो गई है।

2/5/25

पत्रावली पेश हुई। वारीगण एवं वारी अधिवक्ता अम  
वारीगण एवं वारी अधिवक्ता के नियमावली पर तीन  
बार आवरणे लगवाई गई, परन्तु कोई उपास्मित नहीं  
आया। वारीगण एवं वारी अधिवक्ता को अपास्मित में  
पुनः एकबार आवरण लगवाई गई, परन्तु कोई उपास्मित  
नहीं आया। वारीगण एवं वारी अधिवक्ता के उपास्मित  
वहीं आते से वारीगण अब उद्घृत वाद अन्तर्गत धारा  
53, 54, 92 क एवं 188 सदामान काष्ठकारी अधिनियम  
की अदम एजरी। अदम पेशी में प्रारंभ किया जाता है।  
निर्णय से इजलास सुनाना गला। उन्नी पेशी जारी हो।  
पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो गया  
नवंबर से कम हो।

  
2/5/25  
सहायक कलक्टर  
भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

## न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. भगवानलाल पुत्र नगजी कुमावत आयु वयस्क निवासी रूपपुरा, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. डाली पुत्री नगजी कुमावत आयु वयस्क निवासी रूपपुरा, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. कमली पुत्री नगजी कुमावत आयु वयस्क निवासी रूपपुरा, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा  
वादीगण

बनाम

1. उदयलाल पिता नानूराम जी कुमावत आयु वयस्क निवासी रूपपुरा, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. मथुरा लाल पिता नानूराम जी कुमावत आयु वयस्क निवासी रूपपुरा, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. मोहन पिता नाथु कुमावत आयु वयस्क निवासी रूपपुरा, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. भैरु पिता हजारी कुमावत आयु वयस्क निवासी रूपपुरा, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. मगना पिता हजारी जी कुमावत आयु वयस्क निवासी रूपपुरा, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. सोहन लाल पिता नगजी कुमावत आयु वयस्क निवासी रूपपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा


प्रतिवादीगण

अन्तर्गत धारा 53, 54, 92क एवं 188188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 30/2012 राजस्व वाद

वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री कुन्दन शर्मा अनुपस्थित- इस वाद में आज तारीख 02.05.2025 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है-

वादीगण एवं वादी अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53, 54, 92क एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

  
सहायक कलक्टर (जैन)  
भीलवाड़ा कलक्टर  
भीलवाड़ा